राजस्थान सरकार
जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर

कमांकः–एफ.3(ए)(37)शिक्षा/सीटीएडी/16–17/ दिनांक

परिपत्र

विभाग द्वारा जनजाति छात्र/छात्राओ हेतु निम्नानुसार योजनाएँ संचालित की जा रही है। प्रायः देखा जाता है कि योजनाओं के बारे मे पूर्ण जानकारी नही होने से पात्र छात्र/छात्राएँ इन योजनाओं का लाभ नही उठा पाते है, जो आवेदक योजनाओं में आवेदन करते है उन्हे भी सहायता राशि का भुगतान समय पर नही हो पाता है। जिससे योजनान्तर्गत दी जा रही सहायता का लाभ छात्र/छात्राओं को समय पर नही मिल पा रहा है। छात्र/छात्राओं को राशि का भुगतान सत्र के अन्त में करने में आ रही समस्या को देखते हुए योजनाओं के समय पर भुगतान हेतु निम्नानुसार योजनाओं के प्रावधानों का विवरण एवं कलैण्डर निर्धारित किया जाकर भुगतान किये जाने के दिशा निर्देश जारी किये जाते है :–

1. जनजाति छात्राओं को उच्च शिक्षा सहायता राशि – जनजाति छात्राएं जो महाविद्यालय में अध्ययनरत है उन्हें उच्च शिक्षा हेतु 500/– प्रतिमाह के हिसाब से 10 माह हेतु आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। योजना का लाभ जनजाति की उन छात्राओं को देय है जो निजी एवं राजकीय कॉलेज में अध्ययनरत हो, राजस्थान की मूल निवासी हो तथा जिनके माता–पिता आयकरदाता नही है।

2. छात्रगृह किराया योजना – योजना के अन्तर्गत प्रति छात्र/ छात्रा को संभाग मुख्यालय 500/–, जिला मुख्यालय 400/– एवं शेष स्थानों के लिए 300/– रूपये प्रतिमाह की दर से 10 माह तक किराया पुर्नभरण राशि देय है। अनुसूचित क्षेत्र के जनजाति छात्र/छात्राएं जो राजकीय महाविद्यालय की स्नातक तथा स्नातकोतर कक्षाओं में पढते हैं एवं छात्रावासों में स्थानाभाव के कारण किराये के मकान में रहकर नियमित अध्ययन करते हैं तथा जिन छात्र/छात्राओं के माता पिता आयकरदाता नही है। उन छात्र/छात्राओं को योजना का लाभ देय है।

3. बोर्ड एवं विश्वविद्यालय में प्रथम श्रेणी उत्तीर्ण जनजाति प्रतिभावान छात्रों को आर्थिक सहायता – बोर्ड एवं विश्वविद्यालय में जो छात्र प्रथम श्रेणी उत्तीर्ण करते है 350/– प्रतिमाह की दर से 10 माह तक छात्रवृति राशि का भुगतान किया जावेगा। जनजाति छात्र जिन्होंने राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित कक्षा 10 एवं 12 की परीक्षा प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण की हो अथवा कॉलेज में सामान्य शिक्षा में ग्रेज्यूऐशन (प्रथम श्रेणी) में उत्तीर्ण की हो तथा अगली कक्षा में प्रवेश लिया हो इसके लिये पात्र होंगे ।

4. जनजाति छात्राओं को उच्च माध्यमिक शिक्षा हेतु आर्थिक सहायता – जनजाति छात्राऐ जो राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत हो उन्हें उच्च शिक्षा हेतु 350/– प्रतिमाह के हिसाब से 10 माह हेतु आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।ऐसी जनजाति छात्राऐं जो उच्च माध्यमिक कक्षाओ (11वीं एवं 12वीं) में नियमित रूप से राजकीय विद्यालयों में नियमित रूप से अध्ययनरत हो, जिनके माता–पिता आयकर दाता नही है तथा राजस्थान की मूल निवासी हो, उन्हे योजना का लाभ देय होगा।

सामान्य दिशा निर्देश (उक्त सभी योजनाओं हेतु) :–

1. समाज कल्याण विभाग द्वारा दी जा रही उतर मेट्रिक छात्रवृति एवं विभागीय योजनान्तर्गत जनजाति छात्राओं को उच्च शिक्षा अध्ययन हेतु आर्थिक सहायता योजना एवं छात्रगृह किराया योजना का साथ–साथ लाभ लिया जा सकता है।

2. गत वर्ष में अनुत्तीर्ण छात्र/छात्राओं को पुन: उसी कक्षा में प्रवेश लेने पर उक्त योजना का लाभ देय नही होगा।

3. जिन छात्राओं ने श्रेणी सुधार हेतु उसी कक्षा में प्रवेश लिया हो, को भी उक्त योजना का लाभ देय नही होगा।

4. सत्र के मध्य विद्यालय / महाविद्यालय छोडकर जाने वाली छात्र/छात्राओं को उक्त योजना का लाभ देय नहीं होगा।

5. शैक्षणिक प्रोत्साहन योजनाओं का विस्तृत विवरण एवं आवेदन पत्र का प्रारूप विभागीय वेबसाईट www.tad.rajasthan.gov.in पर देखा जा सकता है।

योजनाओं के संचालन हेतु सम्बन्धित कार्यालयों द्वारा किये जाने वाले कार्य :–

1. योजना के प्रचार प्रसार के लिए परियोजना अधिकारी, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग व सहरिया विकास /मुख्य कार्यकारी अधिकारी समुचित प्रयास करेगे।

2. परियोजना अधिकारी, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग व सहरिया विकास/मुख्य कार्यकारी अधिकारी अपने जिले के विद्यालयों/महाविद्यालयों के नोडल अधिकारियों की बैठक आयोजित कर विभिन्न शैक्षणिक योजनाओं की जानकारी तथा उन योजनाओं के समयबद्व कैलेण्डर के बारे में अवगत करायेगे।

जनजाति विभाग द्वारा संचालित शैक्षणिक उत्प्रेरक योजनाओं का वार्षिक कैलण्डर

	विवरण	निर्धारित दिनांक
1	नोडल अधिकारियों की बैठक आयोजित कर विभिन्न शैक्षणिक योजनाओं की जानकारी तथा उन योजनाओं के समयबद्व कैलेण्डर के बारे में अवगत कराना	1 से 10 जुलाई
2	विद्यालयों/महाविद्यालयों द्वारा शैक्षणिक उत्प्रेरक योजनाओं के आवेदन पत्र आंमत्रित करने की दिनांक	31 जुलाई
3	विद्यालयों/महाविद्यालयों द्वारा निर्धारित प्रपत्र में परियोजना कार्यालयों को सूचना भेजने की दिनांक	31 अगस्त
4	परियोजना कार्यालयों के स्तर पर प्राप्त आवेदन पत्र मय निर्धारित प्रपत्र की समीक्षा दिनांक	10 सितम्बर
5	परियोजना कार्यालायों द्वारा ट्रेजरी में शैक्षणिक उत्प्रेरक योजनाओं के बिल भेजने की दिनांक	20 सितम्बर
6	परियोजना कार्यालयों द्वारा छात्र/छात्राओं के खाते में शैक्षणिक उत्प्रेरक योजनाओं की राशि हस्तान्तरण करने की दिनांक	30 सितम्बर

3. सम्बन्धित, परियोजना अधिकारी, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग व सहरिया विकास /मुख्य कार्यकारी अधिकारी कार्यालयों को शैक्षणिक प्रोत्साहन योजनाओं का बजट माह अप्रेल तक आंवटित कर दिया जावेगा।

4. प्रतिवर्ष विद्यालयों के प्रधानाध्यापक/प्रधानाचार्य एवं महाविद्यालयों के प्राचार्य अपने यहां अध्ययनरत जनजाति छात्र/छात्राओं की सूची, सम्बन्धित जिले के जिला शिक्षा अधिकारी एवं परियोजना अधिकारी, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग व सहरिया विकास /मुख्य कार्यकारी अधिकारी को निम्न प्रारूप में माह अगस्त तक उपलब्ध करायेगे।

क्र स	नाम विद्यालय/ महाविद्यालय	छात्र का नाम मय पिता का नाम	श्रेणी	घर का पता	गृह जिला	कक्षा	प्रोत्साहन राशि	बैंक का नाम मय पता	खाता संख्या	भामाशाह कार्ड संख्या

5. जनजाति छात्र/छात्राओं को समय पर भुगतान होवे इस सम्बन्ध में छात्र/छात्रा के बैंक खाते की पास बुक के प्रथम पृष्ठ की फोटो कॉपी भी आवेदन पत्र के साथ प्राप्त की जावे।

6. परियोजना अधिकारी, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग व सहरिया विकास /मुख्य कार्यकारी अधिकारी से प्राप्त सूचियों की जॉच 10 सितम्बर तक कर स्वीकृतिया जारी करेगे।

7. परियोजना अधिकारी, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग व सहरिया विकास /मुख्य कार्यकारी अधिकारी **कार्यालय द्वारा स्वीकृति के आधार पर राशि का भुगतान प्रतिवर्ष माह सितम्बर तक सम्बन्धित छात्र/छात्राओं के बैंक खातें में जमा कराया जायेगा।**

8. सभी योजनाओं में लाभान्वित होने वाले छात्र/छात्राओं को भामाशाह प्लेटफोर्म के माध्यम से राशि का भुगतान किया जाना सुनिश्चित करावे।

9. योजनाओं की राशि का भुगतान किसी भी परिस्थिति मे महाविद्यालय/विद्यालय के खाते में जमा नही कराया जावे।

10. परियोजना अधिकारी, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग व सहरिया विकास /मुख्य कार्यकारी अधिकारी अपने जिले में अध्यनरत विद्यालय/महाविद्यालय छात्र/छात्राओं को शैक्षणिक प्रोत्साहन योजनाओं की राशि का भुगतान उनके खाते में जमा होने की रिपोर्ट अक्टुबर माह की दिनांक 7 तक आयुक्त टीएडी, कार्यालय को भिजवाया जाना सुनिश्चित करे।

-sd-
(भवानी सिंह देथा)
आयुक्त

क्रमांक – एफ 3(ए)( )शिक्षा/सीटीएडी/प्र.ति.वि./14–15/11852-H दिनांक 29/4/16

प्रतिलिपि – सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, जयपुर।
3. संयुक्त शासन सचिव, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, जयपुर।
4. जिला कलक्टर, ...।
5. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, ...।
6. अतिरिक्त कलक्टर एवं परियोजना अधिकारी, सहरिया विकास, शाहबाद (बारा) ।
7. परियोजना अधिकारी, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग,उदयपुर/डूंगरपुर/बांसवाडा/प्रतापगढ/आबूरोड को भेजकर लेख है कि प्रस्ताव योजना क्रियान्वयन के बिन्दु संख्या–4 में अंकित प्रारूप में प्रेषित करने हेतु सम्बन्धित विद्यालयों/महाविद्यालयों को अपने स्तर पर सूचित करावे।
8. निजी सचिव, आयुक्त महोदय।
9. निजी सहायक, अतिरिक्त आयुक्त प्रथम एवं द्वितीय।
10. प्रकोष्ठाधिकारी, आई०टी०.....।

अतिरिक्त आयुक्त (प्रथम)